<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</u>

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.

अपील सं0 2020/00021 (21/2020)

हस्ताराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. शुभम पुत्र हस्ताराम जाति जाट जरिये कुदरती वली माता सरोज पत्नि हस्ताराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल सूर्य नगर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. उप पंजियक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजियक कार्यालय खुईयां तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबंधक महोदय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडैन्टस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.01.2020 द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर, प्रकरण संख्या 27/2019 बअनवानी शुभम बनाम हस्ताराम आदि

श्री हवासिंह पूनियां अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री कुलदीप खुड़िया अधिवक्ता रस्पोडैन्ट सं0 1 की ओर से

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक – 20.7.21

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं0 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर की अदालत में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर कि कुल 9.7130 हैक्टेयर भूमि थी जिसमें वादी के पिता को 7–14 बीघा भूमि प्राप्त हुई एवं रोही मौजा सुरजनसर में 16.1670 हैक्टेयर भूमि थी जिसमें वादी के दादा चन्द्रभान को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुई जिसमें वादी के पिता को 1/15 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई जो पैतृक भूमि है जिसमें वादी का अपने पिता के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर हक हिस्सा है, जिसकी वह अदालत में घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त वादपत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत पेश किया जिसमें विवादित भूमि को रहन बैय एवं मुन्तकिल ना करने बाबत गैर सायल के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा। गैर सायल ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि रोही मौजा सुरजनसर की भूमि सायल के दादा चन्द्रभान के नाम दर्ज है जो उसकी खरीदशुदा है इसलिए चन्द्रभान के जीवन काल में सायल का हक हिस्सा नहीं है। देईदास की भूमि के अलावा गैरसायल के पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है एवं इसी भूमि की पैदावार से वह अपना एवं अपनी माता का भरण पोषण करता है। गैर सायल विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है, जिसके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि गैर सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि भूमि को पैतृक ना माना जावे जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों से भली भांती साबित है कि देईदास की भूमि की एवज में मकान बनाकर दे रखा है उसकी मासिक किस्तें अदा करता आ रहा है एवं उनका भरण पोषण करता आ रहा है। अपीलांट विवादित भूमि का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है कानूनन किसी भी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार का अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता फिर भी अपीलांट को पाबंद कर दिया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र दफा 212 आर.टी.एक्ट. के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संन्तुलन, अपरिमेय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून सम्मत नहीं है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जद्दी जायदाद है जिसमें सायल के दादा चन्द्रभान की स्व अर्जित भूमि है तथा सायल एवं गैर सायल नं0 1 के साथ कोपासर्नर है। गैर सायल नं0 1 सहदायगी खातेदार काश्तकार है उनका वाद भूमि में पैदाईसी हक हिस्सा है। चुंकि गैर सायल नं0 1 ने कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि बदनियती एवं चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि रोही मौजा सुरजनसर के खाता सं0 20/17 की कुल 16.270 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 5.3[illegible] है0 भूमि में से गैर सायल नं0 1 के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा यानी 1.078 है0 सायल व गैर सायल सं0 1 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। गैर सायल सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से बदनियती

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आ गयी है एवं गैर सायल नं0 1 ने सायल की माता को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। वादी के जीवन यापन के लिए एक मात्र यही कृषी भूमि है। अपीलांट इसे रहन बैय करने हेतु उतारू है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो रेस्पो0 को अपूरणीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1993 आरआरडी पेज 206 आरआरडी 2002 पेज 744 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद विचाराधीन है जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश कया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। हमारा मत है कि जब पारिवारिक सदस्यों के मद्य विवाद हो तो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1993 आरआरडी पेज 206 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद हो तो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद है, जिसमें स्थगन आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/7/21

(करतार सिंह पुनीयाँ) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:15 IST
Reason: SelfAttested